स्थापना वर्ष – 1966

Ph.: 05612-241393

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज

फिरोजाबाद

सम्बद्ध – डॉ. बी. आर. आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

E-Mail ID - mgbvpgcfzd@yahoo.com

Web Site Address - mgbvpgcollege.com

NAAC Accredited : B+Grade

PROSPECTUS 2018-2019

मूल्य 250/- रुपया

संख्या 813

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज

अनिल उपाध्याय

(प्रबन्ध समिति के सचिव)

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज
फिरोजाबाद
Web Site - mgbvpgcollege.com

परिचय (Introduction)

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी. जी.) कॉलेज, महात्मा गाँधी सेवा–संघ, फिरोजाबाद की प्रेरणा एवं शहर के गणमान्य नागरिकों के तन–मन–धन के सक्रिय सहयोग से पं. बालबिहारी लाल शर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का साकार स्वरूप है।

वर्ष 1952 में महात्मा गाँधी बालिका माध्यमिक विद्यालय के रूप में तिलक भवन से उदित हो वर्ष 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से कला–संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त कर महाविद्यालय के रूप में एस.एन.रोड पर पल्लवित हुआ। महाविद्यालय ने श्री बालकृष्ण गुप्त के अध्यक्षीय कार्यकाल में सचिव पं. बालबिहारी लाल द्वारा प्रबन्ध समिति के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1971 में स्नातक विज्ञान संकाय की सम्बद्धता प्राप्त की। वर्ष 1983 में स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत एवं संगीत गायन की सम्बद्धता प्राप्त कर नगर की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 2001 में पं. बालबिहारी लाल के अध्यक्षीय कार्यकाल में महाविद्यालय के युवा सचिव श्री सुनील अग्रवाल ने स्ववित्तपोषित अनुभाग की स्थापना कर डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती आगरा वि.वि.) से बी.एस–सी (गृह विज्ञान) की सम्बद्धता प्राप्त की। पुनः वर्ष 2003 में बी.कॉम और एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान) में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त कर जनपद की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का वृहद् क्षेत्र विकसित किया। वर्ष 2006 में प्रबन्ध समिति एवं तत्कालीन सचिव श्री डी.एन.शर्मा के सद्प्रयासों से स्ववित्तपोषित अनुभाग का सर्वांगीण विकास हुआ। एम.ए. समाज शास्त्र की सम्बद्धता स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2007 – 2008 से प्राप्त करने के बाद एम.एस.सी. रसायन विज्ञान की सम्बद्धता सत्र 2009–2010 से प्राप्त की। स्नातक स्तर पर बी.ए. में एक विषय के रूप में शिक्षाशास्त्र की सम्बद्धता सत्र 2010–11 से प्राप्त हुई।

वर्ष 2016 में वर्तमान प्रबन्ध समिति एवं सचिव श्री अनिल उपाध्याय के कार्यकाल में महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराया गया जिसमें महाविद्यालय को **B+** ग्रेड प्राप्त हुआ।

परिकल्पना (Vision)

महाविद्यालय की परिकल्पना नगर में ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना है, जिसमें बालिकाओं को उच्च–शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

लक्ष्य (Vission)

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्राओं के मन में यह चेतना जाग्रत करना है कि स्वयं के साथ–साथ समाज एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में भी उनकी समान रूप से बराबर की भागीदारी है।

उद्देश्य (Objective)

जाति, वर्ग एवं धर्म–भेद–भाव के बिना स्वस्थ शिक्षा प्रदान कर बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना महाविद्यालय का उद्देश्य है। महाविद्यालय को बालिकाओं की उच्च–शिक्षा के क्षेत्र में नगर की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का श्रेय और गौरव प्राप्त है।

भवन (Building)

महाविद्यालय का अपना निजी भवन शहर के सुरक्षित वातावरण के मध्य एस.एन. रोड पर स्थित है। हवादार विशाल शिक्षण–कक्ष, स्व. सेठ कुन्दनलाल–उमरावलाल की स्मृति में निर्मित भव्य हॉल एवं मनमोहक उद्यान से महाविद्यालय–परिसर सुशोभित है। संकाय/विभागानुसार पृथक–पृथक कक्ष आबंटित है। विज्ञान संकाय में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध–समिति के अथक प्रयासों से तीन मंजिला नवीन भवन निर्मित हो चुका है। बी.एस.–सी., गृह विज्ञान के विभिन्न नवीन कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण कर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। बी.ए. गृह विज्ञान व मनोविज्ञान हेतु नवीन उपकरणों से सुसज्जित नवीन लैब विद्यमान है।

पुस्तकालय (Library)

महाविद्यालय में विशाल पुस्तकालय है, जिसमें पुस्तकों के रख–रखाव तथा छात्राओं के बैठकर अध्ययन करने की समुचित व्यवस्था है।

पुस्तकालय में प्रति वर्ष पाठ्यक्रमानुसार नवीन पुस्तकें क्रय की जाती हैं, जिससे पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। नवीन अलमारियाँ आदि क्रय कर पुस्तकालय को आधुनिक रूप से सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित करने का विशेष प्रयास किया गया है। छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तथा सुविधाओं में विस्तार हेतु तीन मंजिला विशाल पुस्तकालय भवन निर्मित हो चुका है।

वाचनालय में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, प्रतियोगी पत्रिकाओं तथा अन्य विभागीय पत्रिकाओं की व्यवस्था है।

पुस्तकालय में कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था हेतु आर ओ. मशीन की व्यवस्था की गई है।

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातक स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1.	हिन्दी	कुलाधिपति के पत्र सं0 7327/दिनांक 07.08.1966 से सम्बद्धता (कला संकाय)
2.	अंग्रेजी	तदैव
3.	मनोविज्ञान	तदैव
4.	अर्थशास्त्र	तदैव
5.	राजनीतिक शास्त्र	तदैव
6.	समाजशास्त्र	तदैव
7.	संगीत (गायन)	तदैव
8.	गृह विज्ञान	जुलाई – 1973 से सम्बद्धता
9.	चित्रकला	जुलाई – 1973 से सम्बद्धता
10.	उर्दू	जुलाई – 1979 से सम्बद्धता
11.	संस्कृत	जुलाई – 1980 से सम्बद्धता
12.	जन्तु विज्ञान	एफिल/104 दि0 12.07.74 राजाज्ञा के पत्र संख्या 2984 (1) जी०एस० दिनांक 20.06.74 से विज्ञान संकाय (Bio group) में सम्बद्धता
13.	वनस्पति विज्ञान	तदैव
14	रसायन विज्ञान	तदैव

स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1	एम. ए. संस्कृत	एफिल/1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783/जी.एस. दिनांक 13.10.83) से एम.ए. (संस्कृत) की सम्बद्धता
2	एम.ए. संगीत (गायन)	एफिल/1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783/जी.एस. दिनांक 13.10.83) से एम.ए. (संगीत गायन) की सम्बद्धता प्राप्त

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण

स्नातक–स्नातकोत्तर

क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1.	बी. एस.–सी (गृह विज्ञान संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/5 59/65/02/07/01 से सम्बद्धता प्राप्त
2.	बी.कॉम (वाणिज्य संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई /2655 /जी.एस. दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
3.	बी. ए. (शिक्षाशास्त्र) एक विषय	(स्ववित्त पोषित) सम्बद्धन – 471/ सत्तर–2–2009–2(577) /2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता प्राप्त
4.	एम.ए. (समाजशास्त्र)	(स्ववित्त पोषित) संख्या – 5166 सत्तर –2–2007–2(135) 2004 दिनांक 17.3.2008 के द्वारा दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता प्राप्त
5.	एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई /2655/जी0एस0दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
6.	एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक सं0–3239 / सत्तर–2–2009–2(135)/2004 दि0 17.11.2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता प्राप्त

अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम

डा. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से शासकीय सहायता प्राप्त स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विषय–

(क) कला संकाय–

(1) स्नातकोत्तर (एम.ए.) – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (1) संस्कृत (2) संगीत–गायन

(2) स्नातक (बी.ए.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम–राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन

हिन्दी भाषा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य

संस्कृत, साहित्य, उर्दू, संगीत गायन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र

शिक्षाशास्त्र (एक विषय–स्ववित्तपोषित)

(ख) विज्ञान संकाय–

स्नातक (बी.एस.सी.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम– राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान।

नोट : विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018–19 में विषयों में प्रस्तावित संशोधन/परिवर्द्धन मान्य होगा।

विषय – चयन हेतु नियम

(क) कला संकाय– स्नातक प्रथम वर्ष के लिए –

(क) अनिवार्य विषय – (1) राष्ट्रगौरव और पर्यावरण अध्ययन

(ख) वैकल्पिक मुख्य विषय – निम्नलिखित में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें –

(1) संस्कृत साहित्य	(2) हिन्दी साहित्य	(3) अंग्रेजी साहित्य
(4) उर्दू	(5) संगीत गायन	(6) गृह विज्ञान
(7) समाजशास्त्र	(8) राजनीतिक शास्त्र	(9) अर्थशास्त्र
(10) शिक्षा शास्त्र	(11) मनोविज्ञान	(12) चित्रकला
(13) सामान्य अंग्रेजी	(14) हिन्दी भाषा	(15) सामान्य संस्कृत

उपर्युक्त विषयों में से चयन करते समय प्रतिबन्ध होगा कि –

1. छात्राएँ विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें। प्रवेश समिति द्वारा स्वीकृत विषय किसी भी दशा में बदले नहीं जायेंगे।
2. प्रत्येक विषय में 60 की संख्या पूर्ण होने तक ही प्रवेश दिए जायेंगे।
3. छात्रा दो से अधिक प्रयोगात्मक विषय अथवा साहित्य नहीं ले सकेगी।
4. हिन्दी भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य संस्कृत में से कोई एक विषय यदि छात्रा चाहे तो ले सकती है।
5. बी.ए. द्वितीय वर्ष में छात्राएँ पूर्व में चयनित मुख्य विषय ही ले सकती है।
6. बी.ए. तृतीय वर्ष में छात्राएँ बी.ए. द्वितीय वर्ष में चयनित तीन विषयों में से किन्ही दो विषयों का चयन करेंगी।

नोट– यदि विश्वविद्यालय द्वारा विषय चयन हेतु नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित नियम ही लागू होंगे।

(ख) विज्ञान संकाय – स्नातक प्रथम वर्ष के लिए –

(क) अनिवार्य विषय – 1. राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन

(ख) मुख्य विषय

1. (क) रसायन विज्ञान (ख) वनस्पति विज्ञान (ग) जन्तु विज्ञान।

- स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित मुख्य विषय ही लेंगी।
- स्नातक तृतीय वर्ष की छात्राएँ स्नातक द्वितीय वर्ष के मुख्य विषयों में से दो विषयों का चयन करेंगी।

आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश –

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा कार्यालय द्वारा आवेदन – पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा–

स्नातक प्रथम वर्ष में आवेदन हेतु –

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की सत्यापित प्रतिलिपि।
4. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (छात्रवृत्ति एवं आरक्षित श्रेणी हेतु)
5. जाति–प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (यदि आरक्षण चाहते हो तो)
6. विकलांग/भूतपूर्व सैनिक अथवा शिक्षक आश्रित के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7. संस्था (जिसमें अन्तिम शिक्षा पाई हो) के प्राचार्य/प्राचार्या से प्राप्त चरित्र–प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8. उ.प्र. से बाहर से आने वाली छात्राएँ प्रव्रजन–प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
9. आधार कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि।
10. घोषणा पत्र मूल रूप में।
11. वेब रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

<u>नोट–</u>

क. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी मूल शैक्षिक अभिलेख–अंकतालिकाओं स्थानान्तरण, आय, जाति और चरित्र प्रमाण–पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य है। महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन–पत्र की पंजीकरण रसीद साक्षात्कार के समय साथ रखें।

(ख) स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष और परास्नातक (एम.ए.) उत्तरार्द्ध की छात्राऐं केवल अर्ह परीक्षा (पूर्व वर्षों) की उत्तीर्ण अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय मूल अंकतालिका लाना अनिवार्य हैं।

(ग) छात्रा को आवेदन–फार्म पर प्रथम वर्ष की प्रवेश संख्या और विश्वविद्यालय से प्राप्त नामांकन संख्या लिखना अनिवार्य है।

महाविद्यालय का परिधान

महाविद्यालय में छात्राओं को सफेद कुर्ता–सलवार पहनकर आना है।

दुपट्टे का चयन कक्षावार इस प्रकार होगा–

बी.ए.	–	मेहरून
बी.एस.सी.	–	गहरा हरा (काई)
बी.एस.सी.–गृह विज्ञान	–	हल्का नीला (आसमानी)
बी.कॉम.	–	हल्का बैंगनी
एम.ए.	–	हल्का सिलेटी (ग्रे)
एम.एस.सी.	–	गहरा नीला (नेवी ब्लू)
शीतकालीन में	–	महरून स्वेटर अथवा शॉल डिजाइन रहित (सादा)

नोट : विवाहित छात्राएँ सादा महरून साड़ी–ब्लाउज पहन सकती हैं।

शुल्क सम्बन्धी नियम

1. सम्पूर्ण शुल्क वर्ष में एक बार प्रवेश के समय ही लिया जाएगा।
2. शासन द्वारा सत्र के मध्य में बढ़ाया शुल्क भी देय होगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा तथा नामांकन फार्म तभी अग्रसारित किए जायेंगे, जबकि छात्रा उस सत्र का सम्पूर्ण शुल्क जमा कर देगी।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रवेश–पत्र सम्पूर्ण देय धनराशि का भुगतान एवं महाविद्यालय की समस्त सामग्री, जो छात्रा के नाम अंकित हो, वापस किए जाने के पश्चात ही दिया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय के खाते में प्रवेश अंकित हो जाने के बाद आवेदन के साथ जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

शुल्क - तालिका (2018-2019)

प्रवेश के समय पूरे वर्ष का शुल्क एवं अन्य वार्षिक शुल्क निम्नवत है-

शुल्क का नाम	बी.ए I,II,III प्रयोगात्मक रहित शुल्क	बी.ए I,II,III प्रयोगात्मक सहित शुल्क	बी.एस.सी. I,II,III	एम.ए. संगीत (गायन) I,II	एम.ए. संस्कृत I,II
शिक्षण शुल्क	–	–	–	–	–
पंजीकरण शुल्क	2	2	2	2	2
प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3
पंखा शुल्क	12	12	12	12	12
शीतोष्ण शुल्क	24	24	24	24	24
मंहगाई शुल्क	42	42	42	42	42
पुस्तकालय शुल्क	30	30	30	30	30
विकास शुल्क	30	30	30	30	30
पत्रिका शुल्क	15	15	15	15	15
निर्धन छात्रा-कोष शुल्क	12	12	12	12	12
विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1500	1700	1700	2200	2000
परिचय पत्र शुल्क	8	8	8	8	8
भवन रख-रखाव शुल्क	30	30	30	30	30
क्रीडा शुल्क	200	200	200	200	200
लैब आकस्मिक शुल्क	25	25	25	25	25
दीक्षान्त समारोह शुल्क	10	10	10	10	10
छात्र-कल्याण शुल्क	12	12	12	12	12
पुस्तकालय आकस्मिक शुल्क	30	30	30	30	30
सांस्कृतिक शुल्क	50	50	50	50	50
छात्र संघ शुल्क	10	10	10	10	10
जैनरेटर शुल्क/विद्युत	100	100	100	100	100
काशन मनी	25	25	25	25	25
प्रयोगात्मक शुल्क	–	240(प्रति विषय)	720	240	–
चिकित्सा शुल्क	12	12	12	12	12
मौखिक परीक्षा शुल्क	–	–	–	–	200

नामांकन शुल्क किसी भी कक्षा हेतु-300 रू. देय होगा। स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क अनिवार्य है।

शोध–सुविधा

महाविद्यालय में संस्कृत और संगीत विषय में शोधकार्य (पी–एच.डी.) करने की सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थियों के पठन–पाठन इत्यादि की पृथक से व्यवस्था है। तथापि उक्त सुविधा सोध के नवीन नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान की जायेगी।

महाविद्यालय के नियम एवं परिनियम

1. प्राचार्य/मुख्य अनुशासन अधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है।
2. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान में नियमित आना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय परिचय–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मुख्य अनुशासन अधिकारी (प्रौक्टर) के माँगने पर छात्रा को अपना परिचय पत्र दिखना होगा
4. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग प्रतिबन्धित है।
5. किसी भी छात्रा के रैंगिंग में लिप्त पाए जाने अथवा अभद्रव्यवहार करने पर सुसंगत नियमों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। दोषी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय परिसर में अकारण चहल–कदमी प्रतिबन्धित हैं। छात्राएं कक्षाओं में अध्ययन करें। अतिरिक्त समय वाचनालय में अनुशासित रहकर पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करें अथवा निर्धारित स्थान पर बैठें।
7. माता–पिता अथवा अभिभावक, जिनकी फोटो पहचान पत्र पर चश्मा है, केवल उन्ही को महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में बात करने अथवा उससे मिलने की अनुमति होगी।
8. महाविद्यालय की संपत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाना दण्डनीय है।
9. सूचना पट पर समय–समय पर प्रदर्शित सूचनाओं का संज्ञान लेना छात्राओं का कर्तव्य है अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
10. छात्राओं के लिए कक्षाओं में 75 प्रतिशत की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। किसी कारणवश कक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में छात्राएँ पूर्व में अवकाश प्रार्थना–पत्र विषय सम्बन्धी शिक्षिकाओं के माध्यम से प्राचार्या से स्वीकृत करवाएँ। 15 दिवस निरन्त अनुपस्थित पर नाम काटा जा सकता है। उपर्युक्त नियमों/परिनियमों में आवश्कतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्धन संसोधन अनुमन्य होगा।

शिक्षक – मण्डल

प्राचार्या	:	डॉ. निर्मला यादव, एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत) पी.–एच.डी.

कला संकल्प

हिन्दी विभाग	:	1. रिक्त स्थान
	:	2. रिक्त स्थान
संस्कृत विभाग	:	1. डॉ. तुलसी देवी, एम.ए., पी.एच.डी.
	:	2. डॉ. राज्यश्री मिश्रा, एम.ए., नैट पी.एच.डी.
अंग्रेजी विभाग	:	1. डॉ. रत्ना सक्सैना एम.ए.पी.–एच.डी.
	:	2. रिक्त स्थान
उर्दू विभाग	:	1. डॉ. फरहा तबस्सुम एम.ए., पी.एच.डी.
संगीत विभाग	:	1. डॉ. अन्जू शर्मा एम. ए. पी.एच.डी.
	:	2. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय एम.ए., नैट पी.एच.डी.
		3. डॉ. निष्ठा शर्मा, एम.ए., नैट, पी.एच.डी.
चित्रकला विभाग	:	1. डॉ. पूनम एम.ए., पी.एच.डी.
		2. रिक्त स्थान
गृह विज्ञान	:	1. डॉ. मीना गुप्ता एम.ए., पी.एच.डी.
	:	2. रिक्त स्थान
मनोविज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
	:	2. रिक्त स्थान
समाजशास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
राजनीतिशास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
अर्थशास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
शारीरिक शिक्षा विभाग	:	1. रिक्त स्थान

विज्ञान संकाय

जन्तु विज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
वनस्पति विज्ञान विभाग	:	1. डॉ. माला पाठक एम. एस. सी., नैट, पी.एच.डी.
रसायन विज्ञान विभाग	:	1. कु. रीता दीक्षित एम. एस. सी., एम. फिल

छात्रवृत्ति–समिति (Scholarship Committee)

सामान्य वर्ग	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. प्रियदर्शनी उपाध्याय	सदस्या
	4. डॉ. रत्ना सक्सैना	संयोजिका
अन्य पिछड़ा वर्ग	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. फरहा तबस्सुम	सदस्या
	4. डॉ. पूनम	संयोजिका
अल्पसंख्यक वर्ग	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. रत्ना सक्सैना	सदस्या
	4. डॉ. फरहा तबस्सुम	संयोजिका
अनुसूचित जाति/ जनजाति	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. प्रियदर्शनी उपाध्याय	सदस्या
	4. डॉ. पूनम	संयोजिका

राष्ट्रीय सेवा–योजना समिति (N.S.S. Committee)

1. डॉ. प्रियदर्शीनी उपाध्याय – योजनाधिकारी (प्रथम इकाई)
2. डॉ. रत्ना सक्सैना – योजनाधिकारी (द्वितीय इकाई)

क्रीडा – समिति (Games Committee)

1. डॉ. मीना गुप्ता – प्रभारी
2. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय – सदस्या
3. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
4. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

रेन्जर्स समिति (Rangers Committee)

1. डॉ. फरहा तबस्सुम – प्रभारी
2. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
3. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

चिकित्सा प्रकोष्ठ (Medical Cell)

1. डॉ. मीना गुप्ता – प्रभारी
2. कु. रीता दीक्षित – सदस्या

कैरियर एण्ड काउन्सलिंग सैल (Career and Counseling Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
3. डॉ. पूनम – संयोजिका

समान सुअवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. तुलसी देवी – सदस्या
3. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
4. डॉ. मीना गुप्ता – संयोजिका

छात्र कल्याण समिति (Students Welfare Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. तुलसी देवी – संयोजिका
3. डॉ. पूनम – सदस्या
4. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
5. छात्रा प्रतिनिधि – सदस्याएँ

सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)

1. डॉ. अंजू शर्मा – प्रभारी
2. डॉ. मीना गुप्ता – सदस्या
3. डॉ. तुलसी देवी – सदस्या
4. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
5. डॉ. पूनम – सदस्या
6. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
7. डॉ. राज्यश्री मिश्रा – सदस्या
8. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

शोध – समिति (Research Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. तुलसी देवी – संयोजिका
3. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय – सह संयोजिका
4. डॉ. अंजु शर्मा – सदस्या
5. डॉ. मीना गुप्ता – सदस्या
6. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
7. डॉ. पूनम – सदस्या
8. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
9. डॉ. राज्यश्री मिश्रा – सदस्या

पत्रिका–समिति (Magazine Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – संरक्षिका
2. डॉ. तुलसी देवी – मुख्य सम्पादिका
3. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
4. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
5. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
6. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

पुस्तकालय – समिति (Library Committee)

1. डॉ. मीना गुप्ता – प्रभारी
2. डॉ. तुलसी देवी – सदस्या
3. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
4. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
5. कु. रीता दीक्षित – सदस्या

शिकायत निवारण–प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
3. डॉ. राज्यश्री मिश्रा – सदस्या
4. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या

एण्टी रैगिंग प्रकोष्ठ (Anti Raging Cell)

1. डॉ. फरहा तबस्सुम – प्रभारी
2. कु. रीता दीक्षित – सदस्या

सैक्सुअल हरेसमेण्ट निवारण प्रकोष्ठ
(Sexual Harassment Prevention Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2. डॉ. तुलसी देवी	–	सदस्या
3. कु. रीता दीक्षित	–	सदस्या
4. श्री राजेश्वर प्रसाद बंसल	–	सदस्य
5. श्री बदी विशाल माथुर	–	सदस्य
6. डा. मीना गुप्ता	–	सचिव सदस्या

नोट– समितियो में सत्र के मध्य में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है

शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

1. श्री संजीव जैन (निलम्बित)	नैत्यिक लिपिक	(एम.कॉम.)
2. श्रीमती ममता गुप्ता	तबला संगतकार	(एम.ए.तबला)
3. श्रीमती फूलमाला राजन	प्रयोगशाला सहायक	(मनोविज्ञान)
4. श्री अनिल कुमार	प्रयोगशाला सहायक	(जन्तु विज्ञान)
5. श्रीमती अरूणा भट्ट	प्रयोगशाला सहायक	(वनस्पति विज्ञान)
6. श्री गजेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला सहायक	(रसायन विज्ञान)
7. श्रीमती शैलजा पाठक	प्रयोगशाला सहायक	(गृह विज्ञान)
8. श्री जगदीश	दफ्तरी	
9. श्री रामजीलाल	प्रयोगशाला परिचर	
10. श्री महेशचन्द्र	प्रयोगशाला परिचर	
11. श्री राजेन्द्र बहादुर	माली	
12. श्रीमती लौंगश्री	प्रयोगशाला परिचर	
13. श्रीमती दिनेश कुमारी	प्रयोगशाला परिचर	
14. श्री अमर सिंह	चौकीदार	
15. श्री जितेन्द्र सिंह	चपरासी	
16. श्री राधेश्याम गुप्ता	खादिमा–गृह विज्ञान	
17. श्री रामवीर	वनस्पति विज्ञान माली	
18. श्रीमती मालती देवी	प्रयोगशाला परिचर	
19. श्री सुधीर कुमार राजौरिया	चपरासी (कला)	
20. श्री ईशाचरन	जमादार	
21. श्री योगेश कुमार	चपरासी	
22. रिक्तपद	बुक लिफ्टर	
23. रिक्तपद	लिपिक कार्यालय	
24. रिक्तपद	पुस्तकालयाध्यक्ष	
25. रिक्तपद	कार्यालय अधीक्षक	
26. रिक्तपद	चौकीदार	
27. रिक्तपद	माली	
28. रिक्तपद	पुस्तकालय लिपिक	

डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 01.06.2018 द्वारा अनुमोदित
प्रवेश नियमावली सत्र 2018–19

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों में कला विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष एवंम् एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्ही पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावाली में विद्यमान हैं तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

बी0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी(गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान), एल0एल0एम0, एल0एल0बी, बी0ए0एल0एल0बी0, एवम् बी0पी0एड0 के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेगें जिसकी नियमावली पृथक रूप में प्रसारित की जायेगी।

सामान्य निर्देश

1.(अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पेक्टस'' तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन–पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2018–2019 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियाँ 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियाँ 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियाँ तथा 3 प्रतिशत विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगिरी) यथा – श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) आरक्षित होगें। विकलांगों के लिए जनपद मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रूपये 250– नकद आगामी सत्र 2018–19 हेतु।

(द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश परीक्षा सर्.सी.टी.वी. कैमरे की देखरेख में कराई जाय। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा कोड दिया जायेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर नोडल का प्रशिक्षण करने हेतु ऑपरेटर का नाम, मोबाइल नं0 विश्वविद्यालय प्रेषित किया जाये।

2. (अ) सत्र 2018–19 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के ''त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम'' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष ''चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम'' में ही प्रवेश दिये जायेगें।

(ब) महाविद्यालयों में एल0एल0एम0 ''प्रथम वर्ष'' में प्रवेश विश्वविद्यालय परीक्षा के आधार पर किये जायेंगे। एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 05 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर सभी श्रेणियों के लिए पृथक–पृथक योग्यता सूचियाँ बनाई जायेगी। प्रतीक्षा सूची योग्यतानुसार पृथक से तैयार की जायेगी जिनमें से छात्रों को योग्यतानुसार प्रवेश दिये जायेगें, किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15–94–15/66/89 दिनांक 30.07.1994 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा।

(स) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 20 जुलाई 2018 होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 31 जुलाई 2018 के पश्चात नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित होने से रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेगें। यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हो।

- **Web Registration** (प्रवेश परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को छोड़कर स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष) : 05 जून से 20 जुलाई 2018 तक
- महाविद्यालय खुलने की तिथि : 02 जुलाई 2018
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की तिथि : 16 जून से 2018 से 20 जुलाई 2018 तक
- स्नातक/स्नातकोत्तर सभी संकाय में प्रवेश की अन्तिम तिथि : 31 जुलाई 2018
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 अगस्त 2018
- स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष/स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि : 17 जुलाई 2018

3– (अ) प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित कालेज की ***वेवसाइट*** पर प्रसारित कर दी जायेगी। छात्र तद्नुसार प्रवेश लें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेशार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये।

4– (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी आर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल आर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थियों को स्नातक के उपरान्त प्रवेश के लिये अधिकतम (03) तीन वर्ष के अन्तराल को प्राचार्य की सुस्तुति के उपरान्त कुलपति द्वारा अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अन्तराल के नियम का पालन कड़ाई से लागू किया जाय।

टिप्पणी :– *(1)* विश्वविद्याय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों पर अन्तराल (**GAP**) का नियम लागू नहीं होगा ।

(2) दो वर्ष के अन्तराल (**GAP**) के छात्रों का ऑन लाइन डटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुए प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाइन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

(3) एल0एल0बी0 6 वर्ष, बी0ए0/एल0एल0बी0 8 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 7 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 6 वर्ष, परास्नातक अधिकतम 5 वर्ष में पूर्ण करना होगा।

(द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल0एल0बी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल0एल0एम0 कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

(य) कला वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके है, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

''यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछात की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा ना हों।''

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार, कर्तव्य और अधिकार होंगे:–

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and Principals laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंन्कार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5 (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:-

(1) बी0एस0सी0 (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बी0एस0सी0 (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।

(4) बी0ए0/बी0कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

(5) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसासिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level Along with revisel scheme of studies) (संलग्नक–i)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0(कृषि)/ बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट /मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें:-

(1) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवम् उन्ही जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों के आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल एवं अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्ग स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू0पी0 आगरा मण्डल तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल तथा डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो, किन्तु एम0एस0सी0(कृषि) के

प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू0पी0 आगरा / अलीगढ़ मण्डल के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35/सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र – छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग–2 तथा भाग–3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग–1 के अभ्यर्थियोंसे योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, तब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो विश्व विद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
(2) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य –चक्रानुसार।
(3) एस0एन0 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित–मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश "प्रोवीजनल" भी नहीं देगा।

(vi) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किये जायें।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना:–

6– (क) स्नातक कक्षायें:

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेगें।
2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम0ए0 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी0ए0 की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0ए0 पूर्वार्द्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।

(ग) एम0कॉम पूर्वार्द्ध परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी0कॉम त्रिवर्षीय परीक्षा है।

(घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्हीं विषयों में प्रविष्ट हो सकते है जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक):–

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:

(क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक।

शैक्षणिक अंकों की गणना:–

6– (क) स्नातक कक्षायें:

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेगें।
2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम0ए0 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी0ए0 की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0ए0 पूर्वाद्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।

(ग) एम0कॉम पूर्वाद्ध परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी0कॉम त्रिवर्षीय परीक्षा है।

(घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्हीं विषयों में प्रविष्ट हो सकते है जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक):–

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता भाग लेने के लिए:

(क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक।

2. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 कैडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक

5. बी0कॉम (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने:–
   - (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 8 अंक।
   - (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 7 अंक।
   - (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 6 अंक।
   - (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये। – 3 अंक।

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने:–
   - (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
   - (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
   - (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
   - (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये। – 2 अंक।

3. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को – 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी ''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को – 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 कैडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। – 3 अंक।

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। – 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स/रेजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हों। – 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रेजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक।

नोट:–

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोवर्स रेजर्स के लिए समन्यवयक (रोवर्स/रेजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) <u>सभी कक्षायें:–</u>

1. डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।

17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैक के केवल पति–पत्नी पुत्र–पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

3. सभी सहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

टिप्पणी:–

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणितकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:–

किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु–

(क) प्रथम विजेता होने के लिए	–	5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये	–	4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये	–	3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करते के लिये	–	2 अंक।

2. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण — 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट /जी–1 उत्तीर्ण — 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक

3. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथाकम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। — 5 अंक

4. डा0 आम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वयं जो उन पर आश्रित हो।

5. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (अविवाहित) **10 अंक**

नोटः–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

6. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करते के लिये – 2 अंक।

नोटः–
उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोवर्स रेजर्स के लिए समन्यवयक (रोवर्स रेजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर स्नातक अन्तिम वर्ष के किसी विषय में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण – पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगा एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(द) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

(8)- (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश में सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व - होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी ही होगा।

9- प्रत्येक छात्र को वेव रजिस्ट्रेशन नम्बर (Web Registration Number) लेना होगा। प्रवेश के समय समस्त अभ्यर्थियों को अधार कार्ड नम्बर के आधार पर W.R.N(Web Registration Number) दिया जायेगा। इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझें जायें।

कुलसचिव कुलपति

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सत्र 2018–19 हेतु सैमिस्टर व वार्षिक कलैण्डर

1. **Web Registration** स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष (प्रवेश परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को छोड़कर) : 5 जून से 20 जुलाई 2018 तक
2. (a) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए पंजीकरण की तिथि। : 2 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक

   (b) स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए प्रवेश की अन्तिम तिथि : 5 जुलाई 2018 से 16 जुलाई 2018 तक

   (c) स्नातक एवं स्नातकोत्तर पुनः परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि : 11 जुलाई से 25 जुलाई 2018 तक

   (d) प्रयोगात्मक परीक्षा छूटी हुई के फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि : जुलाई के अन्तिम सप्ताह 25 जुलाई से 3 जुलाई 2018 तक

   (e) पुनः परीक्षा की तिथि : सितम्बर माह का अन्तिम सप्ताह
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में मुख्य परीक्षाफार्म भरने की तिथि : 16 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक
4. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि : 01 अगस्त 2018
5. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि : 17 जुलाई 2018
6. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में नामांकन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : 31 जुलाई 2018
7. महाविद्यालयों (स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों) द्वारा नामांकन शुल्क क्रीडा शुल्क एवं सांस्कृतिक शुल्क सहित विश्वविद्यालय में नामांकन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : 04 अगस्त 2018
8. विषम (**ODD**) सैमिस्टर परीक्षाओं की अवधि : नवम्बर 2018 का दूसरा सप्ताह
9. सम (**ODD**) सैमिस्टर परीक्षाओं की अवधि : अप्रैल 2019 का तीसरा सप्ताह
10. प्रयोगात्मक परीक्षा माह जनवरी, 2019 के प्रथम सप्ताह से फरवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न होगी।
11. व्यक्तिगत परीक्षाओं के फार्म नवम्बर, 2018 में भरवाये जायेगा।
12. परीक्षाफल 15 जून 2019 तक घोषित करना ।
13. ग्रीष्मकालीन अवकाश 60 दिन का होगा।

कुलसचिव

Live in present with pleasure [happiness] and awareness. [Dr. S.C. Chauhan].

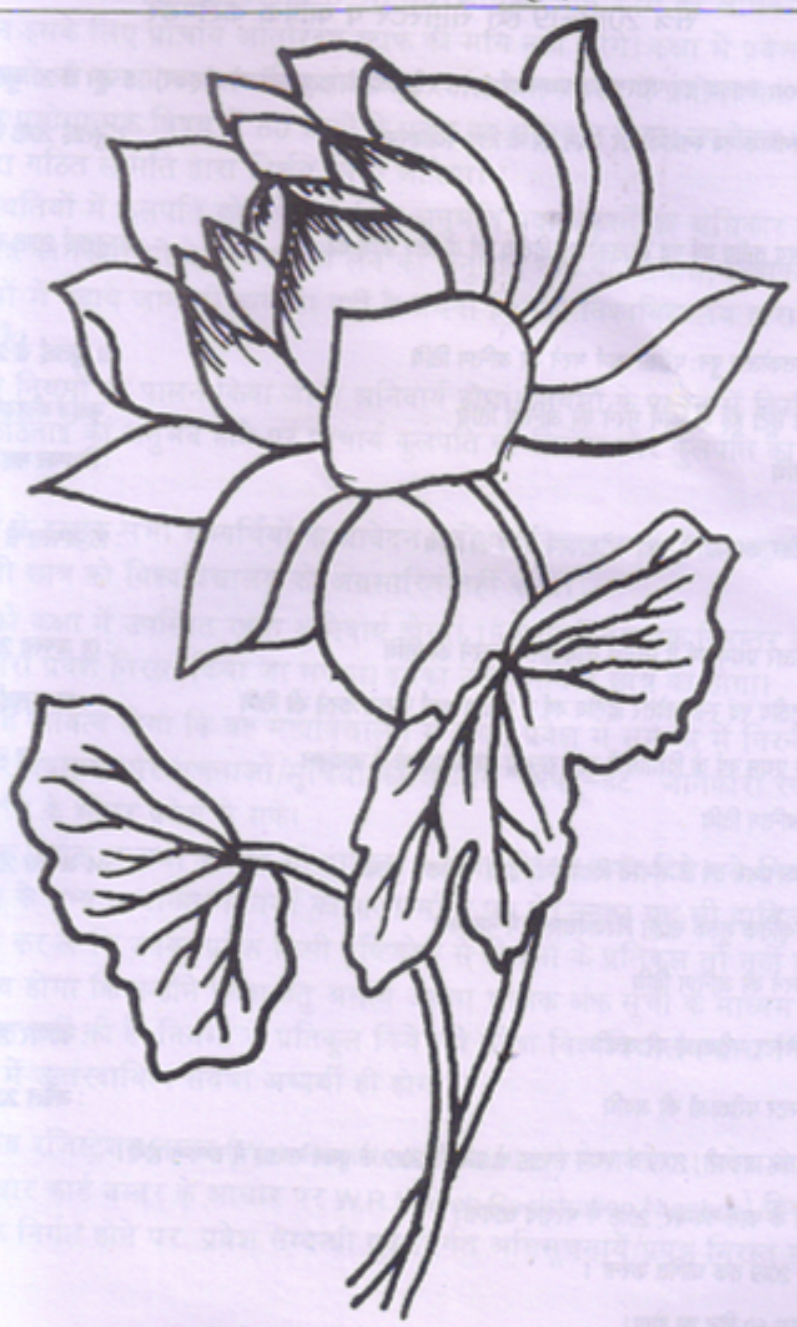

प्रबन्ध समिति महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज
एस.एन.मार्ग, फिरोजाबाद

1. श्री राजनाथ गुप्ता	अध्यक्ष
2. श्री अनूप चन्द्र जैन	उपाध्यक्ष
3. श्री अनिल उपाध्याय	सचिव
4. श्री धर्मेन्द्र नाथ शर्मा	उप सचिव
5. डॉ श्री एस.पी.एस. चौहान	कोषाध्यक्ष
6. श्री महेन्द्र प्रताप बंसल	लेखा निरीक्षक
7. श्री अशोक चतुर्वेदी	सदस्य
8. श्री राजेश्वर प्रसाद बंसल	सदस्य
9. श्री राजकुमार मित्तल	सदस्य
10. श्री सुनील कुमार अग्रवाल	सदस्य
11. श्री धर्मेन्द्र मोहन गुप्ता	सदस्य
12. श्री मोहम्मद इस्लाम	सदस्य
13. श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	सदस्य
14. श्री सुरेश चन्द्र दुबे	सदस्य
15. श्री हरी ओम गुप्ता (आदर्श)	सदस्य
16. श्री संजय प्रकाश मीतल	सदस्य
17. डॉ. श्री गणेश चन्द शर्मा	सदस्य
18. डॉ. निर्मला यादव	(प्राचार्या) पदेन सदस्य
19. डॉ. राज्यश्री मिश्रा	(शिक्षिका प्रतिनिधि) सदस्य
20. डॉ. मीना गुप्ता	(शिक्षिका प्रतिनिधि) सदस्य
21. डॉ. तुलसी देवी	(शिक्षिका प्रतिनिधि) सदस्य
22. डॉ. अंजू शर्मा	(शिक्षिका प्रतिनिधि) सदस्य

M.G. BALIKA (P.G.) COLLEGE
गांधी द्वार